

नियम एवं शर्तें :

(1) उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिये किये जाने वाले चयन माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिकाओं (क्रमांक 591/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 592/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

(2) चयन पद्धति :-

पद क्रमांक 1 एवं 2 के लिये शैक्षणिक अर्हता-70 अंक, अनुभव-20 अंक, साक्षात्कार-10 अंक/पद क्रमांक 3, 4, 5, 6 के लिये शैक्षणिक अर्हता-90 अंक, साक्षात्कार-10 अंक निर्धारित रहेगा। शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव के आधार पर 01 पद के विरुद्ध 15 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची साक्षात्कार हेतु तैयार की जायेगी।

(3) निर्धारित आयु सीमा :-

(क) सामान्य वर्ग के आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2022 को कॉलम 09 के अनुसार होगी तथा अन्य विशेष वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है, वे छूट लागू रहेंगी परन्तु उपरोक्त सभी प्रकार के छूट को समिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ख) ४० शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.01.2019 के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ग) सीधी भर्ती के समस्त पदों पर राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली उच्चतर आयु सीमा की छूट दी जावेगी।

(घ) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का हो, तो उच्चतर आयु सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

(ङ.) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबन्ध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(च) उन अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में भी जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हों या कर्मचारी रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गयी सीमा तक तथा शर्तों के अधीन छूट दी जायेगी, अर्थात् :-

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ का स्थायी अथवा अस्थायी सरकारी सेवक है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।


(दो) ऐसा अभ्यर्थी,, जिसमें कार्यभारित कर्मचारी, आकस्मिकता से वेतन प्राप्त करने वाला व्यक्ति तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित व्यक्ति समिलित है, जो अस्थायी रूप से पद धारण करता है तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन करता है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(तीन) जो अभ्यर्थी छठनी किया गया सरकारी सेवक हो, उसे आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी समस्त अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु-सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

(i) स्पष्टीकरण - शब्द "छठनी किये गये सरकारी सेवक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीयन करने अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हों।

(ii) स्पष्टीकरण - सीधी भर्ती के कुछ पदों में अधिकतम आयु सीमा 40 एवं 45 वर्ष तक दी गई है जो उन पदों हेतु वांछित अनुभव एवं अहर्ताओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है, परन्तु आयुसीमा संबंधित सभी प्रकार के छूटों को समिलित करते हुए, किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी की उम्र 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(छ) ऐसे अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी समस्त प्रतिरक्षा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो सेवा आयु निकले वह अधिकतम आयु से 3 वर्ष से अधिक न हो।



स्पष्टीकरण – शब्द “भूतपूर्व सैनिक” से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम ४ मास की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन करने या सरकारी सेवा में नियुक्त हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्यायिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कभी किये जाने के कारण छटनी की गयी थी या जो अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था :—

- (i) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेप्शन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो ।
 - (ii) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित कर दिया गया हो, और जिन्हें —
 - (क) अल्पकालीन वचनबद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर
 - (ख) भर्ती संबंधी शर्त पूर्ण हो जाने पर, सेवान्मुक्त कर दिया गया हो ।
 - (iii) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व सैनिक,
 - (iv) संविदा पूरी होने पर सेवान्मुक्त किये गये अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है ।
 - (v) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें लगातार अवकाश पर रहने के कारण छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवान्मुक्त किये गये हो ।
 - (vi) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक नहीं बन सकेंगे ।
 - (vii) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने तथा घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग किया गया हो ।
 - (viii) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेवा से विधिक रूप से अलग किया गया हो ।
- (ज) विधवा तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा ५ वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।
- (झ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।
- (ञ) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त एवं राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।
- (त) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य/निगम/मंडल के कर्मचारी है, उच्चतर आयु सीमा ३८ वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।
- (थ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नान कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार पूर्ण की गई नगर सेना की कालावधि के लिए सामान्य उच्चतर आयु सीमा में ८ वर्ष की छूट होगी । किन्तु ऐसी छूट ३८ वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए तथा आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे ।

शैक्षणिक योग्यता :-

क. सहायक भौमिकीविद्

- (1) भू-विज्ञान में स्नातकोत्तर या एम.टेक, जिसमें कम से कम ६० प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण हो ।
 - (2) किसी शासकीय संस्थान/सार्वजनिक उपकरण/निजी संस्थान में न्यूनतम ०५ वर्षों का कार्य का अनुभव होना चाहिए ।
 - (3) अधिक उम्मीदवार होने पर उन उम्मीदवारों को चयन में वरीयता होगी जिन्हें कम्प्यूटर शाफ्टवेयर द्वारा ज्योलाजिकल रिपोर्ट, माईन माउलिंग तथा माईनिंग प्लान एवं डी.जी.पी.एस. सर्वे आदि तैयार करने का ज्ञान हो ।
- ख. सर्वे ऑफिसर —
- (1) शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से माइनिंग/सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री/ सिविल अथवा माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कम से कम ६० प्रतिशत औसत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण हो ।
 - (2) निदेशक खान सुरक्षा द्वारा जारी सर्वेयर सर्टिफिकेट (Restricted)
 - (3) किसी शासकीय/निजी संस्थान के मेकेनाईज्ड/सेमी मेकेनाईज्ड माइंस में सर्वे कार्य का कम से कम ०५, वर्षों का कार्य अनुभव ।

ग. सहायक प्रबंधक (सौमिकी) –

1. भू विज्ञान में स्नातकोत्तर, जिसमें कम से कम 60 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण हो।

घ. जुनियर फोरमेन –

(1) शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से माईनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया हो।

(2) खान सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी फोरमेन सक्षमता प्रमाण पत्र (Restricted) धारक हो।

ड. ड्राफ्ट्समेन (मानचित्रकार) –

1. वास्तुकला में डिप्लोमा या आई.टी.आई. से ड्राफ्ट्समेन उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।

च. ट्रेसर –

1. ड्राइंग विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण या आई.टी.आई. से ड्राफ्ट्समेन ट्रेड का प्रमाण पत्र धारक।

(5) अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

(6) उम्मीदवार को स्वयं का पता लिखे एक खाली लिफाफा (10''X4'') मय साधारण डाक टिकट के अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

(7) ऐसे उम्मीदवार जो आरक्षण का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उम्मीदवार को अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित (सत्यापित) छायाप्रति, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।

(8) उम्मीदवारों को अपनी आयु के सत्यापन हेतु हाईस्कूल प्रमाण पत्र/अंक सूची की सत्यापित छाया प्रतियां, आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य है।

(9) विज्ञापित पदों के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अनुसार आवश्यक दस्तावेज यथा डिग्री, प्रमाण पत्र, कार्यानुभव इत्यादि दस्तावेजों की स्व सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने की जवाबदारी अभ्यर्थी की होगी। अपूर्ण दस्तावेज होने से ऐसे आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

(10) अन्य शासकीय, अर्द्धशासकीय अथवा निजी संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। आवेदक चाहे वह अपने नियोक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किये गए आवेदन की अग्रिम प्रति सीधे प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु साक्षात्कार के पूर्व उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(11) विज्ञापित पदों में नियमानुसार महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पद आरक्षित है।

(12) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सी.एम.डी.सी. को होगा।

(13) चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(14) चयनित उम्मीदवारों को पुलिस वेरीफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछ़िड़ा वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन राज्य के जाति प्रमाण पत्र, उच्च स्तरीय छान-बीन समिति से किए जाने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।

(15) उक्त विज्ञापित पद अधिसूचित क्षेत्रों (क्षेत्रीय कार्यालय अस्थिकापुर/भानुप्रतापपुर/दंतेवाड़ा) के लिये भी है, अतः नियुक्ति इन क्षेत्रों में भी की जावेगी।


(16) पदों का आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।

(17) महिला उम्मीदवार हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उक्त पद पुरुष उम्मीदवारों से भरा जावेगा।


(18) विज्ञापित पदों की संख्या कम या अधिक करने का निर्णय नियोक्ता का होगा।

(19) उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार या लिखित (कौशल परीक्षा) अथवा दोनों के माध्यम से किया जावेगा। चयन प्रक्रिया का निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जावेगा।

(20) आयु सीमा में छठ, अन्य शर्तें तथा आवेदन के प्रारूप का अवलोकन/डाउनलोड सी.एम.डी.सी. की वेबसाइट www.cimdc.co.in से की जा सकती है।



- (21) कोई भी उम्मीदवार जिसके दो से अधिक जीवित संतानें हैं, उनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
- (22) आवेदन पत्र पर न्यूनतम पासपोर्ट साईज का फोटो स्वयं प्रमाणित कर लगाना अनिवार्य होगा।
- (23) वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंक सूचियों की स्वयं सत्यापित छायाप्रतियों सहित उम्मीदवार का आवेदन पत्र दिनांक 23/02/2022 शायं 05 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट से प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सेक्टर-24, ब्लॉक-ए, विंग-7(ए) तृतीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) पिन नंबर 492015 के कार्यालय में स्वीकार किये जाएंगे। निर्धारित तिथि के उपरान्त विलम्ब से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- (24) अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के सबंध में उम्मीदवारों को कोई पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी, ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे।
- (25) विज्ञापित पदों के लिये आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप इस नियम एवं शर्तों के साथ संलग्न है।
- (26) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है, अतएव नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।
- (27) भर्ती की कार्यवाही एवं प्रक्रिया प्रशासकीय कारणों से कभी भी सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। इसके लिये कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।



प्रबंध संचालक